



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092022-239016
CG-DL-E-23092022-239016

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4237]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2022/भाद्र 30, 1944

No. 4237]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2022/BHADRA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2022

का.आ. 4421(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2592(E) तारीख: 03 जून 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में NH-NE5 के कि.मी. 515 से कि.मी.566.52 (डीसी आफिस जम्मू, वज़रतब रोड जम्मू) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "15 जून, 2022" को "डेली एक्सेलसियर" और "अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में NH-NE5 के कि.मी. 515 से कि.मी. 566.52 (डीसी आफिस जम्मू, वज़रतब रोड जम्मू) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: जम्मू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जम्मू				
	गांव का नाम: सिदड़ा				
1	260 min	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0202	मालिक: राज्य सरकार कल्टीवेटर: मुफ़ीदे आम (260 min)
	तालुक का नाम: नगरोटा				
	गांव का नाम: सितनी				
1	17	सरकारी	गैर मुमकिन झाड़	0.9231	मालिक: राज्य कल्टीवेटर: मकबूजा राज्य (17 min)
2	18	निजी	वरहाल - I/गैर मुमकिन	1.1305	मालिक: फरमान अली, सादिक अली, मो. मुस्तफा, मुश्ताक अली, अब. राशिद पुत्र की शकीना बेगम। बेगम बेटी हमीदा बीबी w/o बरकत अली बराबर 1/3 शेयरों में, अब। मजीद पुत्र बूई ws/o मीर हुसैन बराबर 1/3 शेयरों में सरदार अहमद, याकूब अली, मोहम्मद। सलीम, फारूक अहमद, फरीद अहमद संस गुलाम बीबी, शकीना w/o नूर हुसैन 23 शेयरों में से 1/3 शेयरों में शमीर अहमद पुत्र शरफ़ दीन 22 शेयरों अब। राशिद पुत्र शमीर अहमद 3 शेयर अब। गनी पुत्र अब्दुल्ला 23 शेयर मासूमा बीबी डी/ओ आशियान बीबी 31 शेयर गुज्जर निवासी देह। कल्टीवेटर: शमीर अहमद, अब. गनी, मासूमा बीबी अब की समान हिस्सेदारी वाली खेती में सह-साझेदार हैं। गनी सह-साझेदार। (18 min)

3	18	निजी	वरहाल - I/गैर मुमकिन	0.1062	मालिक: फरमान अली, सादिक अली, मो. मुस्तफा, मुश्ताक अली, अब. राशिद पुत्र की शकीना बेगम। बेगम बेटी हमीदा बीबी w/o बरकत अली बराबर 1/3 शेयरों में, अब। मजीद पुत्र बूई ws/o मीर हुसैन बराबर 1/3 शेयरों में सरदार अहमद, याकूब अली, मोहम्मद। सलीम, फारूक अहमद, फरीद अहमद संस गुलाम बीबी, शकीना w/o नूर हुसैन 23 शेयरों में से 1/3 शेयरों में शमीर अहमद पुत्र शरफ़ दीन 22 शेयरों अब। राशिद पुत्र शमीर अहमद 3 शेयर अब। गनी पुत्र अब्दुल्ला 23 शेयर मासूमा बीबी डी/ओ आशियान बीबी 31 शेयर गुज्जर निवासी देह। कल्टीवेटर: शमीर अहमद, अब. गनी, मासूमा बीबी अब की समान हिस्सेदारी वाली खेती में सह-साझेदार हैं। गनी सह-साझेदार। (18 min)
4	19	सरकारी	अदाक बंजर क़दीम	0.1391	मालिक:राज्य कल्टीवेटर: राज्य ()
5	21	सरकारी	अदाक बंजर क़दीम	0.0809	मालिक: राज्य कल्टीवेटर: जेडीए विभाग ()
6	22	सरकारी	गैर मुमकिन	0.526	मालिक :राज्य कल्टीवेटर: वन विभाग ()
7	23	निजी	बंजर क़दीम	0.1619	मालिक : मो. यूनुस मंज़ूर अहमद, मो. सलीम, अब. बशीर अहमद गुर्जर निवासी देह के पुत्र राशिद कल्टीवेटर : स्व खेती ()
			कुल	3.0879	

[फा. सं. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2022

S.O. 4421(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, SO 2592(E) dated 03.06.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-NE5 on the stretch of land from Km. 515 to Km. 566.52 (Dc Office Jammu, Wazaratb Road Jammu) in the district of JAMMU in the state of JAMMU and KASHMIR.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Excelsior” and “Amar Ujala” both dated 15.06.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-NE5 in the stretch of land from NH-NE5 (Dc Office Jammu, Wazaratb Road Jammu) in the district of JAMMU in the state of JAMMU and KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR			District: JAMMU		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jammu				
	Village: Sidhra				
1	260 min	Government	Gair mumkin Rasta	0.0202	Onwer: State Goverment Cultivator: Mufeede aam 260 min
	Taluk: Nagrota				
	Village: Sitni				
1	17	Government	Gair Mumkin Jadh	0.9231	Owner:State Cultivator: Makbooja State 17 min
2	18	Private	Warahal-1/Gair Mumkin	1.1305	Owner:Farman Ali,Sadiq Ali, Mohd. Mustafa, Mushtaq Ali, Ab. Rashid Sons Shakina Begam. Begam Daughter Hamida Bibi w/o Barkat Ali in equal 1/3 shares, Ab. Majid Son Bui w/o Mir Hussain in equal 1/3 shares Sardar Ahmed, Yaqoob Ali , Mohd. Saleem, Farooq Ahmed, Farid Ahmed Sons Gulam Bibi, Shakina ws/o Noor Hussain in equal 1/3 shares out of 23 shares Shamir Ahmed s/o Sharaf Din 22 shares Ab. Rashid s/o Shamir Ahmed 3 share Ab. Gani s/o Abdulla 23 share Masooma Bibi D/o Ashian Bibi 31 share Gujjar R/o Deh . Cultivator:Shamir Ahmed, Ab. Gani, Masooma Bibi co sharer in equal share cultivation of Ab. Gani co-sharer. 18 min
3	18	Private	Warahal-1/Gair Mumkin	0.1062	Owner:Farman Ali,Sadiq Ali, Mohd. Mustafa, Mushtaq Ali, Ab. Rashid Sons Shakina Begam. Begam Daughter Hamida Bibi w/o Barkat Ali in equal 1/3 shares, Ab. Majid Son Bui w/o Mir

					Hussain in equal 1/3 shares Sardar Ahmed, Yaqoob Ali , Mohd. Saleem, Farooq Ahmed, Farid Ahmed Sons Gulam Bibi, Shakina ws/o Noor Hussain in equal 1/3 shares out of 23 shares Shamir Ahmed s/o Sharaf Din 22 shares Ab. Rashid s/o Shamir Ahmed 3 share Ab. Gani s/o Abdulla 23 share Masooma Bibi D/o Ashian Bibi 31 share Gujjar R/o Deh . Cultivator:Shamir Ahmed, Ab. Gani, Masooma Bibi co sharer in equal share cultivation of Ab. Gani co-sharer. 18 min
4	19	Government	Adak Banjar Qadeem	0.1391	Owner:State Cultivator: State
5	21	Government	Adak Banjar Qadeem	0.0809	Owner:State Cultivator: JDA Department
6	22	Government	Gair Mumkin	0.526	Owner :State Cultivator: Forest Department
7	23	Private	Banjar Qadeem	0.1619	Owner:Mohd. Younus Manzoor Ahmed, Mohd. Saleem, Ab. Rashid sons of Bashir Ahmed Gujjar R/o Deh Cultivator:Self cultivation
			TOTAL	3.0879	

[F. No. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3D]

RAJESH GUPTA, Director